

22<sup>nd</sup> December, 2021

**National Stock Exchange of India Limited**  
**Exchange Plaza,**  
**Plot No. C/1, G Block,**  
**Bandra Kurla Complex**  
**Bandra (E), Mumbai – 400 051.**  
**NSE Symbol: KAMDHENU**

**BSE Limited**  
**Corporate Relationship Department**  
**Phiroze Jeejeebhoy Towers**  
**Dalal Street**  
**Mumbai- 400001**  
**BSE Scrip Code: 532741**

**Sub: Newspaper Publication(s)**

**Ref: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations").**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 of SEBI Listing Regulations and the directions received vide 2<sup>nd</sup> Motion Admission Order dated 16<sup>th</sup> December, 2021 of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench, Chandigarh, please find attached copies of extracts of the newspaper advertisements for the notice of hearing of petition before the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench, Chandigarh, fixed on 22<sup>nd</sup> March, 2021 published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi), Delhi & NCR editions on 21<sup>st</sup> December, 2021.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For **Kamdhenu Limited**



**Khem Chand**  
**Company Secretary & Compliance Officer**

Encl: As Above











While care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

## State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक

**तनावग्रस्त परिसम्पत्ति वसुली शाखा-II**, 18/4, एस्बीआई हाउस, 4था तल, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
**फोन:** 011-28752163, **ई-मेल:** sbi.S15121@sbi.co.in
**[नियम 8(1)] कब्जा सूचना [अवल सम्पत्ति यों) के लिये]**
**जैसा** कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोहरस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 12.10.2021 जारी कर ऋणधारक/ गारंटरो में, एम.के.एण्टरप्राइजेज, शिव कालीनी, तर्नरा रोड, हाथरस-204101, 3. श्री मुकेश अग्रवाल,शिव कालीनी, तर्नरा रोड, हाथरस-204101, 3. श्रीमती गीता देवी अग्रवाल,शिव कालीनी, तर्नरा रोड, हाथरस-204101 को उक्त सूचना को प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 5268658.00 (रु. बावन लाख अड़सठ हजार छः सौ अन्दावन मात्र) के साथ के साथ अनुषांगिक लागत, चार्जेज आदि के साथ उक्त राशि पर अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक/गारंटेरंड इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक/गारंटेरंड तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 17 दिसम्बर, 2021 को अयोहरस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोहरस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारको/गारंटरो तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 11.10.2021 को रु. 5268658.00 (रु. बावन लाख अड़सठ हजार छः सौ अन्दावन मात्र) के साथ के साथ अनुषांगिक लागत, चार्जेज आदि के साथ उक्त राशि पर अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट को जाती है।

**अचल/गिरवी सम्पत्ति यों) का विवरण:**

**सम्पत्ति:** (अचल सम्पत्ति का इन्क्वेटबल मार्टीज) : 1. श्री मुकेश अग्रवाल के नाम में नजीपुर, शिव कालीनी, खसरा नं. 73 एवं 74 का भाग, हाथरस में स्थित प्लॉट पर निर्मित आवासीय फ्लैट जो बही नं. 1, जिल्द नं.-3415, पेज नं-25 से 48 में क्रमांक 1197 में उप-रजिस्ट्रार, हाथरस के पास 7.3.2009 को पंजीकृत है। चौहद्दी: पूर्व: बगीची भरंहरेश, पश्चिम: 14 फीट चौड़ा रस्ता, उत्तर: अंबु अग्रवाल का प्लॉट, दक्षिण: अन्य सम्पत्ति।

**तिथि:** 17.12.2021, **स्थान:** आगरा **प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक**

## State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक

**तनावग्रस्त परिसम्पत्ति वसुली शाखा-II**, 18/4, एस्बीआई हाउस, 4था तल, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
**फोन:** 011-28752163, **ई-मेल:** sbi.S15121@sbi.co.in
**[नियम 8(1)] कब्जा सूचना [अवल सम्पत्ति यों) के लिये]**
**जैसा** कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोहरस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 25.6.2021 जारी कर ऋणधारक/ गारंटरो में, न्यू लाइट पैन्सर्स, डी-1,यूवीएस एआईडीसी, बरहना इंडस्ट्रियल एरिया, नंद नगर रोड, कोसी नरालान, तहसील छाता, जिला मधुगु, स्व. श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव, पुत्र श्री कुंवर लाल श्रीवास्तव (सभी स्व.श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव के कानूनी उत्तराधिकारी) एवं श्री प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, पुत्र श्री कुंवर लाल श्रीवास्तव दोनों पता: 303, श्रीजी अपार्टमेंट, चन्दननगर-2, मधुगु-282001, श्री सुरेंद्र सिंह टैगर, पुत्र श्री गिरधर सिंह (गॉल्टर/मार्टीजर), 114 सी, शास्त्रीनगर, मधुगु-282001 को उक्त सूचना को प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 2605558.00/- (रु. छब्बसी लाख पाँच हजार पाँच सौ अन्दावन मात्र) के साथ अनुषांगिक लागत, चार्जेज आदि के साथ उक्त राशि पर अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारंटेरंड इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक/गारंटेरंड तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 16 दिसम्बर, 2021 को अयोहरस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोहरस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारको/गारंटरो तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 25.6.2021 को रु. 2605558.00/- (रु. छब्बसी लाख पाँच हजार पाँच सौ अन्दावन मात्र)के साथ के साथ अनुषांगिक लागत, चार्जेज आदि के साथ उक्त राशि पर अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट को जाती है।

**अचल/गिरवी सम्पत्ति यों) का विवरण:**

**सम्पत्ति:** (अचल सम्पत्ति का इन्क्वेटबल मार्टीज) : 1. में, नई इस्टर्न पेन्सर्स के नाम में प्लॉट नं. डी-1, इंडस्ट्रियल इस्टेट, बरहना (कोसी कलॉन) जिला मधुगु (उ.प्र.) में स्थित व्यावसायिक सम्पत्ति का ईएम। चौहद्दी: उत्तर: रोड, दक्षिण: प्लॉट नं. डी-2, पूर्व: रोड, पश्चिम: प्लॉट नं. सी-1। 2.श्री सुरेंद्र सिंह टैगर, पुत्र श्री गिरधर सिंह के नाम में प्लॉट नं. बी-2, इंडस्ट्रियल इस्टेट, बरहना (कोसी कलॉन) जिला मधुगु (उ.प्र.) में स्थित व्यावसायिक सम्पत्ति का ईएम। चौहद्दी: उत्तर: प्लॉट नं. सी-12,13,14, दक्षिण: प्लॉट नं. बी-3, पूर्व: रोड, पश्चिम: प्रशासनिक ब्लॉक।

**तिथि:** 16.12.2021, **स्थान:** आगरा **प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक**

<b>ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ</b> <div>punjab national bank</div>	<b>अंचल सस्त्र केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल</b> <div>फोन<span> </span>: 0755-4017045</div>
<b>आधिपत्य सूचना [ परिशिष्ट -IV के अन्तर्गत नियम -8 ( 1 ) ]</b>	<b>SI-10</b>
अधोहस्ताक्षरकर्ता, <b>प्री पंजाब नेशनल बैंक</b> का प्राधिकृत अधिकारी है, ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुर्नगठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (12) एवं सहपक्षित नियम 3 के तहत मांग नोटिस दिनांक <b>24.09.2021</b> को ऋणीयों/साझेदारों/जमानतदारों/बंधकर्ताओं मैसर्स <b>दोलतराम इंडस्ट्रीज, श्री शोभित शर्मा पुत्र स्व. श्री सतीशनाथ शर्मा एवं श्रीमती अरुणा शर्मा पतिन स्व. श्री सतीशनाथ शर्मा (पार्टनर) को नाटिस में उल्लेखित राशि रु. 14, 12,67,213.55 (रुपये चौदह करोड़ बारह लाख सड़सठ हजार दो सौ तेरह एवं पचपन पैंसा मात्र) ब्याज एवं अन्य खर्चें ( 01.09.2021 से)</b> को नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर वापस करने का अनुरोध किया गया था। ब्लूकि उधारकर्ता उपरोक्त राशि को चुकाने में असमर्थ रहे, उन्हें एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं सहपक्षित नियम 8 के अंतर्गत अधिरोपित अधिकार का उपयोग करते हुए नीचे दी गई साधारणतया सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें, ऐसा कोई भी संव्यवहार बैंक की संबंधित शाखा के पक्ष में सूचित भार रु. <b>14, 12,67,213.55 (रुपये चौदह करोड़ बारह लाख सड़सठ हजार दो सौ तेरह एवं पचपन पैंसा मात्र) ब्याज एवं अन्य खर्चें ( 01.09.2021 से)</b>	
ऋणीयों/ साझेदारों/ जमानतदारों/ बंधकर्ताओं का स्थान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिएअमंत्रित किया जाता है, जो उपलब्ध समय में संपत्तियों को मुनाने के लिए समय के संबंध में है।	

ऋणी /साझेदार/बंधकर्ता जमानतदार का नाम	कब्जा की गई सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति मालिक का नाम
<b>मैसर्स दोलतराम इंडस्ट्रीज, श्री शोभित शर्मा पुत्र स्व. श्री सतीशनाथ शर्मा एवं श्रीमती अरुणा शर्मा पतिन स्व. श्री सतीशनाथ शर्मा (पार्टनर)</b>	<b>फैक्ट्री भूमी एवं विल्डिंग प्लाट नं. 141, 11, बीसी इंडीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एस्टेट, बीएचईएल रानीपुर इंडस्ट्रियल एरिया ,हरिद्वार, कुल क्षेत्रफल 43578 वर्ग फिट, संपतित मालिक – मैसर्स दोलतराम इंडस्ट्रीज</b>
<b>दिनांक: 21/12/2021</b>	<b>सुधीर कुमार साहू</b>
<b>स्थान: हरिद्वार(उत्तराखंड)</b>	<b>प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक</b>

<b>KAMDHENU LIMITED</b> <div>CIN: L27101HR1994PLC092205</div> <div>Regd. Off.: 2nd Floor, Tower A, Building No. 9, DLF Cyber City, Phase-III, Gurugram (Haryana) – 122002</div> <div>Ph.: +91-124-4604500 Fax: +91-124-4218524</div> <div>Email: kamdhenu@kamdhenulimited.com, www.kamdhenulimited.com</div>	
<div>राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण चंडीगढ़ बैंच, चंडीगढ़ के समक्ष (मूल क्षेत्राधिकार)</div> <div>कंपनी आवेदन सं. सीए (सीएच) 2021 का 22/ सीएचबी /एचआरवाई में धारा 230, 232 और 66 में कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) और प्रबंध योजना (स्क्रीम ऑफ अरेंजमेंट) के मामले में और</div>	
<div>कामधेनु कॉनकारट लिमिटेड कामधेनु ओवरसीज लिमिटेड कामधेनु पेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड कामधेनु इन्फाडेलपर्स लिमिटेड कामधेनु न्यूट्रिएंटस प्राइवेट लिमिटेड के2 स्टील लिमिटेड रिटायर्ड प्रमोर्सस प्राइवेट लिमिटेड कामधेनु लिमिटेड कामधेनु वैचर लिमिटेड</div>	<div>याचिकाकर्ता सं. 1/अंतरक कंपनी सं. 1 याचिकाकर्ता सं. 2/अंतरक कंपनी सं. 2 याचिकाकर्ता सं. 3/अंतरक कंपनी सं. 3 याचिकाकर्ता सं. 4/अंतरक कंपनी सं. 4 याचिकाकर्ता सं. 5/अंतरक कंपनी सं. 5 याचिकाकर्ता सं. 6/अंतरक कंपनी सं. 6 याचिकाकर्ता सं. 7/अंतरक कंपनी सं. 7 याचिकाकर्ता सं. 8/अतिरिी कंपनी याचिकाकर्ता 9/परिणामी कंपनी सं. 1</div>
<div>कामधेनु कलर एंड कोटिंग्स लिमिटेड (सभी कंपनियां कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्गमित हैं और उनका पंजीकृत कार्यालय दूसरी मंजिल, टावर ए, बिल्डिंग नंबर 9, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-3, गुडगाय-122002, हरियाणा में है)</div> <div>के मामले में याचिका की सुनवाई की सूचना</div>	<div>याचिकाकर्ता सं. 10/परिणामी कंपनी सं. 2 (सभी कंपनियां कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्गमित हैं और उनका पंजीकृत कार्यालय दूसरी मंजिल, टावर ए, बिल्डिंग नंबर 9, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-3, गुडगाय-122002, हरियाणा में है)</div> <div>के मामले में याचिका की सुनवाई की सूचना</div>

कामधेनु कॉनकारट लिमिटेड, कामधेनु ओवरसीज लिमिटेड, कामधेनु पेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कामधेनु इन्फाडेलपर्स लिमिटेड, कामधेनु न्यूट्रिएंटस प्राइवेट लिमिटेड, के2 स्टील लिमिटेड, रिटायर्ड प्रमोर्सस प्राइवेट लिमिटेड, कामधेनु लिमिटेड, कामधेनु वैचर्स लिमिटेड और कामधेनु कलर एंड कोटिंग्स लिमिटेड की प्रबंध योजना (स्क्रीम ऑफ अरेंजमेंट) की मंजूरी प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 और 232 के अंतर्गत उपरोक्त नामित याचिकाकर्ताओं द्वारा 5 अक्टूबर, 2021 (गारंटीबद्ध दाखिल करने की तारीख) के एक संयुक्त याचिका प्रस्तुत की गई और उक्त याचिका की सुनवाई 22 मार्च, 2022 को सुबह 10:30 बजे माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बैंच, कोरपोरेट भवन, फ्लॉर नंबर 4-बी, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर-27-बी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़-160 019 के सम्क्षत तथे हुई है।

कोई भी व्यक्ति जो उक्त याचिका का सम्बंध या विरोध करना चाहता है, यह वैच और याचिकाकर्ता के वकील को अपने आशय की सूचना, अपने या अपने वकील द्वारा हस्ताक्षरित, अपने नाम और पते के साथ भेजे, ताकि वह बैंच और याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट तक याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से 2 दिन पहले तक पहुंच जाए। जहां वह याचिका का विरोध करना चाहता है, वहां विरोध के आधार या उसके हलफनामे की एक प्रति भी ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत की जाएगी। याचिका की एक प्रति अयोहरस्ताक्षरी द्वारा किसी भी व्यक्ति को इसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर इसकी आवश्यकता वाले व्यक्ति को दे दी जाएगी।

**कामधेनु कलर एंड कोटिंग्स लिमिटेड** याचिकाकर्ता सं. 10/परिणामी कंपनी सं. 2  
(सभी कंपनियां कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित हैं और उनका पंजीकृत कार्यालय दूसरी  
मंजिल, टावर ए, बिल्डिंग नंबर 9, डीएलएफ साइबर सिटी, फूड नुड, गुडगांव-122002, हरियाणा में है)

**के मामले में**  
**याचिका की सुनवाई की सूचना**

कामधेनु कॉनकास्ट लिमिटेड, कामधेनु ऑवरसीज लिमिटेड, कामधेनु पेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कामधेनु इन्फ्राडिफेवलपर्स लिमिटेड, कामधेनु न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड, केड स्टील लिमिटेड, टिपटॉप प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड, कामधेनु लिमिटेड, कामधेनु वेबर्स लिमिटेड और कामधेनु कलर एंड कोटिंग्स लिमिटेड की प्रबंध योजना (एकीकृत ऑफ अरेंजमेंट) की नगंजरी प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 और 232 के अंतर्गत उपरोक्त नामित याचिकाकर्ताओं द्वारा 5 अक्तूबर, 2021 (वास्तविक दाखिल करने की तारीख) को एक संयुक्त याचिका प्रस्तुत की गई और उक्त याचिका की सुनवाई 22 मार्च, 2022 को सुबह 10:30 बजे माननीय नेगल कर्नील जी ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच, कॉरपोरेट भवन, प्लॉट नंबर 4-बी, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर-27-बी, मध्य गांधी, चंडीगढ़-160 019 के समक्ष तथा की गई है।

कोई भी व्यक्ति जो उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करना चाहता है, वह यह याचिकाकर्ता के कर्मील को अपने आशय की सूचना, अपने या अपने वकील द्वारा हस्ताक्षरित, अपने नाम और पते के साथ भेजे, ताकि वह बेंच और याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट तथा याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित अधिनियम सं 2 दिन पहले तब पहुंच जाय। जहां वह याचिका का विरोध करना चाहता है, वहां विरोध के आधार या उसके हलफनामे की एक प्रति भी ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत की जाएगी। याचिका की एक प्रति अवेक्रेडिटेड द्वारा किसी भी व्यक्ति को इसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर इसकी आवश्यकता वाले व्यक्ति को दे दी जाएगी।

हस्ता./-  
राजीव के. गोयल, एडवोकेट  
कृते राजीव गोयल एंड एसोसिएट्स  
याचिकाकर्ताओं के वकील  
785, पॉकेट-9, मयूर विहार-II,  
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे/एनएच-9, दिल्ली 110 091  
मोबाइल: 93124 09354  
ई-मेल: rajcevr391@gmail.com, वेबसाइट: www.rgalca.in

दिनांक: 20.12.2021  
स्थान: नई दिल्ली

<b>केनरा बैंक Canara Bank</b>	<b>शाखा<span> </span>: त्रिनगर, दिल्ली 110035</b>
<div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>कब्जा सूचना ख़ासा 13(4), (अचल संपत्ति हेतु)</span></span></div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>जबकि, अयोहस्ताक्षरकर्ता नं केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) (यहां इसमें इसके उपरांत "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगलागत, एका मांग सूचना दिनांकित 09.09.2021 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ता श्रीमती स्वप्ति गुप्ता को सूचना में वर्णित राशि रु. 9.56,375.20 (रुपय नौ लाख छपन हजार तीन सौ पचहत्तर एवं बीस पैसे मात्र) का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्वारा उधारकर्ता तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इसमें निम्न विवरणीत सम्पत्ति का, उक्त निम्नावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तरित, 18 दिसंबर 2021 को, कब्जा ग्रहण कर लिया है।</span></span></div></div>	
<div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>उधारकर्ता को विषय रूप में तथा जनसाधारण को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति का कोई व किसी भी किसम का लेन-देन जो है, यो रु. 9.56,375.20 की एक राशि तथा उस पर ब्याज हेतु केनरा बैंक के प्रमाणीभूत होगा। उधारकर्ता का ध्यानार्कषण प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के मोचार्थ उपलब्ध समय के संसर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) के प्राधान्यों के और आमंत्रित किया जाता है।</span></span></div></div>	
<div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>अचल संपत्ति का विवरण</span></span></div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>निम्न संपत्तित के समस्त भाग तथा अंश<span> </span>: जो डीडीय एलआईजी प्लेट नं. 36 के यूआरईएम, तृतीय तल, पॉकेट 1, ब्लॉक ई-2, सेक्टर 34, रोहिणी, नई दिल्ली को ब्याज का लेन-देन जिसकी चौदह्दी निम्नानुसार है<span> </span>: उत्तर – प्लेट नं. 35, दक्षिण<span> </span>: खुला क्षेत्र सीढ़ियों के बाद, पूर्व<span> </span>: प्लेट नं. 33, पश्चिम<span> </span>: अन्य ब्लॉक।</span></span></div></div>	
<div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>दिनांक<span> </span>: 18.12.2021,</span></span></div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>स्थान: दिल्ली</span></span></div></div>	<div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>प्राधिकृत अधिकारी</span></span></div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>केनरा बैंक</span></span></div></div>

<div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड</span></span></div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>(पूर्व का मैसर्स थिरुनेनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड)</span></span></div></div>	
<div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>पंजीकृत कार्यालय<span> </span>: नंबर 5बीसी-110, वॉर्सफिट, आउटर रिंग रोड, सर्विस रोड, तीसरा ब्लॉक, एचआरबीआर लेआउट, कल्यान नगर, बैंगलोर-560043,</span></span></div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>वेबसाइट<span> </span>:www.varthana.com, ई-मेल<span> </span>: care@varthana.com, फोन: 080-68455777, शाखा कार्यालय<span> </span>: सं. 1162 एवं 1163, टावर बी-1, 11वीं तल, स्पेज 1 टेक पार्क, सेक्टर-49, सोहन रोड, गुरुग्राम 122018</span></span></div></div>	
<div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>कब्जा सूचना [नियम 8(1)] (अचल सम्पत्ति हेतु)</span></span></div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>जैसा कि, अयोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत मैसर्स वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व का मैसर्स थिरुनेनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) जयपुर शाखा का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में आवेदको/सह-आवेदको/बंधककर्ताओं से ऋण ख़ाता सं. S19GUR-GUR-007873 में 1. मैसर्स गौतम कान्वेन्ट मिडिल स्कूल उसके अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा प्रतिनिधायित, 2. मैसर्स गैलेक्सी एडुकेशनल सोल्यूट्स, इन्फोके अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा प्रतिनिधायित, 3. लजावती भी, पत्नी भास्विनी, 4. दिनेश कुमार, पुत्र भास्विनी, 5. राजेश कुमार, पुत्र, भास्वोली, उक्त 1 से 5 का कार्यालय/निवास गहेलावा मण (233), हाथिन तहसील, पलवल, हरियाणा-121103 से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान की तिथि तक सूचना में उल्लिखित राशि रु. 52,02,466/- (रुपये बावन लाख दो हजार चार सौ छियासठ मात्र) 10.9.2021 को तथा मांग सूचना में उल्लिखित सहमत अनुवन्धन दर पर भुगतान की तिथि तक ब्याज एवं आकस्मिक व्ययों, लागत तथा अन्य प्रभारों आदि का भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना दिनांक 24.9.2021 जारी की थी।</span></span></div></div>	
<div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>हालांकि, यहां ऊपर उल्लिखित आवेदको/सह-आवेदको/बंधककर्ताओं द्वारा ब्याज/अन्य प्रभारों सहित पूरा राशि का भुगतान करने में विफल होने के कारण, एतद्वारा आवेदको/सह-आवेदको/बंधककर्ताओं तथा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अयोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उसने 17 दिसम्बर, 2021 को नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर संपत्तिक कब्जा कर लिया है।</span></span></div></div>	
<div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>विशेष रूप से आवेदको/सह-आवेदको/बंधककर्ताओं को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साक्षरता एवं संव्यवहार 10.9.2021 को रु. 52,02,466/- (रुपये बावन लाख दो हजार चार सौ छियासठ मात्र) तथा भुगतान की तिथि तक उपर्युक्त सहमत अनुवन्धन दर पर ब्याज एवं आकस्मिक व्ययों, लागत तथा अन्य प्रभारों के लिए मैसर्स वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर के प्रभार के अधग्रभी होगा। प्रतिभूत आस्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आवेदको/सह-आवेदको/बंधककर्ताओं का ध्यान धारा 13 की उप-धारा (8) की ओर आकर्षित किया जाता है।</span></span></div></div>	
<div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>अचल सम्पत्ति का विवरण<span> </span>: अनुसूची 'ए' सम्पत्ति: गहलावा ग्राम, हाथिन तहसील, पलवल जिला (हरियाणा) में स्थित सम्पत्ति खेत नं. 78, ख़ाता नं. 96, मुसलील नं. 38, किला नं. 2/1/1 (4-16), फ़ाउंट (4-10), ख़सरा नं. 453 (1-0) एवं 679 (0-2), भूमि माप 1 कनाल 5 मरला (760 वर्ग यार्ड्स) का सभी भाग तथा हिस्सा तथा चौहद्दी: पूर्व: रोड, पश्चिम: अन्य सम्पत्ति, उत्तर: अन्य सम्पत्ति, दक्षिण: रोड, बंधक प्रलेख उप-रजिस्ट्रार कार्यालय हाथिन (पलवल) में दिनेश कुमार एवं राजेश कुमार द्वारा निर्माणित दर्ता. 939/2019-20 तिथि: 1.7.2019 के रूप में पंजीकृत।</span></span></div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>अनुसूची 'बी' सम्पत्ति: भमनोखेरा ग्राम, पलवल, तहसील एवं जिला (हरियाणा) में स्थित सम्पत्ति खेत/वासी नं. 769/829, मुसलील नं. 88, किला नं. 18(8-0), 19 (8-0) तथा 20(8-0), भूमि एरिया माप 6 मरला जो 183 वर्ग यार्ड्स है, का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी: पूर्व: रोड, पश्चिम: अन्य सम्पत्ति, उत्तर: रोड, दक्षिण: अन्य सम्पत्ति। बंधक प्रलेख उप रजिस्ट्रार कार्यालय, पलवल में श्रीमती लज्जवती द्वारा निर्माणित दर्ता. 5271/2019 तिथि 5.7.2019 के रूप में पंजीकृत।</span></span></div></div>	<div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>अधिकृत अधिकारी</span></span></div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड</span></span></div></div>
<div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>दिनांक: 21.12.2021</span></span></div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>स्थान: पलवल</span></span></div></div>	

<div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड</span></span></div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>शाखा कार्यालय<span> </span>: 7वीं मंजिल, सीटीब्लूकोर्ट गेट, इण्डोव्यालान एक्सप्रेसटन, नई दिल्ली-110055, भारत</span></span></div></div>	
<div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>मांग सूचना</span></span></div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (“नियम”) के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण के प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (“अधिनियम”) की धारा 13(2) के तहत सेवा में,</span></span></div></div>	
<div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>1. मैसर्स पाल मोटर्स</span></span></div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>इसके प्रोपराइटर राजिंदर सिंह रैनु के माध्यम से जी-28/29, वर्धमान टॉवर, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, प्रीत विहार, दिल्ली-110092</span></span></div></div>	
<div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>2. राजिंदर सिंह रैनु,</span></span></div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>मकान नंबर ए-81, गली नंबर 5, राधेश्याम पार्क एक्सप्रेसटन, कृष्णनगर, दिल्ली-110051</span></span></div></div>	
<div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>साथ ही<span> </span>: जी-28/29, वर्धमान टॉवर, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, प्रीत विहार, दिल्ली-110092</span></span></div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>3. श्रीमती सुनंद रैनु,</span></span></div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>मकान नंबर ए-81, गली नंबर 5, राधेश्याम पार्क एक्सप्रेसटन, कृष्णनगर, दिल्ली-110051</span></span></div></div>	
<div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>साथ ही<span> </span>: जी-28/29, वर्धमान टॉवर, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, प्रीत विहार, दिल्ली-110092</span></span></div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>ग्रिय श्रीमान/मैसम,</span></span></div></div>	
<div><div><span><span> </span><span> </span></span><span><span>ऋण ख़ाता सं. 21799008 के तहत 17.12.2021 तक टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (इसके पश्चात “टीसीएफएसएल”) सन्दर्भित) द्वारा आपकी 26.09.2019 को स्वीकृत होम इक्विटी (लैप) ऋण के तहत टीसीएफएसएल का ब्याज सहित रु. 44,59,749/- (रुपये चौवालीस लाख उनरठ हजार सात सौ उनचत्तर मात्र) बकाया है। हमारे बार-बार निवेदन करने के बावजूद आपने अपने ख़ाते में बकाया राशि के प्रति कोई भी भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के वक़ायों में आपके पुनर्भुगतान में चूक के कारण आरबीआई के दिशा-निर्देश के अनुसार 03.11.2021 को एनपीए ख़ाता वर्गीकृत कर दिया गया है। मैंने स्वयं वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभू</span></span></div></div>	



BHARAT NIDHI LIMITED			
Regd. Off: 1st Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002 Phone No. 011-43562982, E-Mail ID:- bharatnidihi@gmail.com   CIN No. U51396DL1942PLC000644			
NOTICE is hereby given that the following Shareholder of the Company holding fully paid up equity shares of Rs. 10/- each of the Company, have reportedly lost his Share Certificate and application has been made to the Company by its legal heir to issue duplicate share certificates:			
Name of the Shareholder	Father/ Husband's Name	No. of Shares held	Folio No.
B S Yalwar	Sangappa Yalwar	10	4635
Any person, who has a claim in respect of the said equity shares, should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from the date of issue of this notice; else the Company will proceed to issue duplicate certificates without further intimation.			
Place: New Delhi Date: December 20, 2021	For Bharat Nidhi Limited Sd/- Company Secretary		

## State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक

तनावग्रस्त परिसम्पत्ति वसुली शाखा-II, 18/4, एसबीआई हाउस, 4था तल, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
**फोन:** 011-28752163, ई-मेल: sbi.S15121@sbi.co.in
**[ नियम ४(1) ] कब्जा सूचना [ अचल सम्पत्ति यों ] के लिये ]**
**जैसा कि**, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोधस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 12.10.2021 जारी कर ऋणधारक/ गारंटरो मे, एम.के.एण्टरप्राइजेज, शिव कॉलोनी, तर्फरा रोड, हाथरस-204101, 2 श्री युक्तेज अग्रवाल,शिव कॉलोनी, तर्फरा रोड, हाथरस-204101, 3. श्रीमती गीता देवी अग्रवाल,शिव कॉलोनी, तर्फरा रोड, हाथरस-204101 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 11.10.2021 को रु. 5268658.00 (रु. बावन लाख अड़सठ हजार छः सौ अन्वयन मात्र) के साथ के साथ अनुषांगिक लागत, चार्जेज आदि के साथ उक्त राशि पर अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक/गारंटर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक/गारंटर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 17 दिसम्बर, 2021 को अयोधस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोधस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटरो तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 11.10.2021 को रु. 5268658.00 (रु. बावन लाख अड़सठ हजार छः सौ अन्वयन मात्र) के साथ के साथ अनुषांगिक लागत, चार्जेज आदि के साथ उक्त राशि पर अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

**अचल/गिरवी सम्पत्ति यों) का विवरण:**

**सम्पत्ति:** (अचल सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टीज): 1. श्री मुकेश अग्रवाल के नाम में नवीपुर, शिव कॉलोनी, खसरा नं. 73 एवं 74 का भाग, हाथरस में स्थित प्लॉट पर निर्मित आवासीय फ्लैट जो बही नं. 1, बिल्ड नं.-3415, पेज नं-25 से 48 में क्रमांक 1197 में उप-रजिस्ट्रार, हाथरस के पास 7.3.2009 को पंजीकृत है। चौहद्दी: पूर्व: बगीची भउरेछर, पश्चिम: 14 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर: अंशु अग्रवाल का प्लॉट, दक्षिण: अन्य सम्पत्ति।

**तिथि:** 17.12.2021, **स्थान:** आगरा

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

## State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक

तनावग्रस्त परिसम्पत्ति वसुली शाखा-II, 18/4, एसबीआई हाउस, 4था तल, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
**फोन:** 011-28752163, ई-मेल: sbi.S15121@sbi.co.in
**[ नियम ४(1) ] कब्जा सूचना [ अचल सम्पत्ति यों ] के लिये ]**
**जैसा कि**, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोधस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 25.6.2021 जारी कर ऋणधारक/ गारंटरो मे, न्यू लाइट नेच्यूस, डी-1,पूरीएस आईडीसी, बरहना इंडस्ट्रियल एरिया, नंद नगर रोड, कोसी कलान, तहसील दादरा, जिला मधुगु, र्व. श्री वेद प्रकाश श्रीवासव, पुत्र श्री कुंवर लाल श्रीवासव (सभी र्व.श्री वेद प्रकाश श्रीवासव के कानूनी उत्तराधिकारी) एवं श्री प्रेम प्रकाश श्रीवासव, पुत्र श्री कुंवर लाल श्रीवासव दोनों पता: 303, श्रीजी अपार्टमेंट, चन्दनवन-2, मधुरा-282001, श्री सुप्रेन्द्र सिंह टैगर, पुत्र श्री गिरधर सिंह (गोंडर/मार्टीजर), 114 सी, शास्त्रीनगर, मधुरा-282001 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 25.6.2021 को रु. 2605558.00/- (रु. छब्बसी लाख पाँच हजार पाँच सौ अन्वयन मात्र) के साथ अनुषांगिक लागत, चार्जेज आदि के साथ उक्त राशि पर अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक/गारंटर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक/गारंटर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 16 दिसम्बर, 2021 को अयोधस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोधस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटरो तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 25.6.2021 को रु. 2605558.00/- (रु. छब्बसी लाख पाँच हजार पाँच सौ अन्वयन मात्र) के साथ के साथ अनुषांगिक लागत, चार्जेज आदि के साथ उक्त राशि पर अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

**अचल/गिरवी सम्पत्ति यों) का विवरण:**

**सम्पत्ति:** (अचल सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टीज): 1. मे. न्यू स्टार्ट पेन्टर के नाम में प्लॉट नं. डी-1, इंडस्ट्रियल इस्टेट, बरहना (कोसी कलॉन) जिला मधुगु (उ.प्र.) में स्थित व्यावसायिक सम्पत्ति का ईएम। चौहद्दी: उत्तर: रोड, दक्षिण: प्लॉट नं. डी-2, पूर्व: रोड, पश्चिम: प्लॉट नं. सी-1। 2.श्री सुप्रेन्द्र सिंह टैगर, पुत्र श्री गिरधर सिंह के नाम में प्लॉट नं. बी-2, इंडस्ट्रियल इस्टेट, बरहना (कोसी कलॉन) जिला मधुरा (उ.प्र.) में स्थित व्यावसायिक सम्पत्ति का ईएम। चौहद्दी: उत्तर: प्लॉट नं. सी-12,13,14, दक्षिण: प्लॉट नं. बी-3, पूर्व: रोड, पश्चिम: प्रशासनिक ब्लॉक।

**तिथि:** 16.12.2021, **स्थान:** आगरा

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

<div> <div><span></span></div> <div>पंजाब नैशनल बैंक</div> <div>punjab national bank</div> </div>	<div> <div><span></span></div> <div>अंचल सस्त्र केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल</div> <div>फोन<span> </span>: 0755-4017045</div> </div>
<div> <div><span></span></div> <div>आधिपत्य सूचना [ परिशिष्ट -IV के अंतर्गत नियम -४ (1) ]</div> <div>SI-10</div> </div>	

अधोहस्ताक्षरकर्ता, जो **पंजाब नैशनल बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी है, ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (12) एवं सहपटित नियम 3 के तहत मांग **नोटिस दिनांक 24.09.2021** को ऋणीयों/साझेदारों/जमानतदारों/बंधकर्ताओं **मेसर्स दीलतराम इंस्ट्रूज, श्री शोभित शर्मा पुत्र र्व. श्री सतीशनाथ शर्मा एवं श्रीमती अरुणा शर्मा पति र्व. श्री सतीशनाथ शर्मा (पार्टर)** को नोटिस में उल्लेखित राशि रु. **14, 12,67,213.55 (रुपये चौदह करोड़ बारह लाख सड़सठ हजार दो सौ तेरह एवं पचपन पैसा मात्र) ब्याज एवं अन्य खर्चें (01.09.2021 से)** को नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर वापस करने का अनुरोध किया गया था। चूंकि उपाकर्ता उपरोक्त राशि को चुकाने में असमर्थ रहे, उन्हें एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अयोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं सहपटित नियम 8 के अंतर्गत अधिरोपित अधिकार का उपयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति का **कब्जा दिनांक 18, 12,2021** को हासिल कर लिया है। साथ ही उक्त उपाकर्ताओं को विशेषतः एवं आम जनता को साधारणतया सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें, ऐसा कोई भी संव्यवहार बैंक की संबंधित शाखा के पक्ष में सूचित भार रु. **14, 12,67,213.55 (रुपये चौदह करोड़ बारह लाख सड़सठ हजार दो सौ तेरह एवं पचपन पैसा मात्र) ब्याज एवं अन्य खर्चें (01.09.2021 से)**

ऋणी/ साझेदार/बंधकर्ता जमानतदार का नाम	कब्जा की गई सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति मालिक का नाम
<b>मेसर्स दीलतराम इंस्ट्रुीज, श्री शोभित शर्मा पुत्र र्व. श्री सतीशनाथ शर्मा एवं श्रीमती अरुणा शर्मा पति र्व. श्री सतीशनाथ शर्मा (पार्टर)</b>	फैक्ट्री भूमी एवं बिल्डिंग प्लान्ट नं. 141, 1। ज़ेसी डीट्रेग्रेडेड इंस्ट्रुयल एस्टेट, बीएचईएल रानीपुर इंस्ट्रुयल एरिया ,हरिद्वार, कुल क्षेत्रफल 43578 वर्ग फिट, संपातित मालिक -मेसर्स दीलतराम इंस्ट्रूज
<b>दिनांक: 21/12/2021</b> <b>स्थान: हरिद्वार(उत्तराखंड)</b>	<b>सुधीर कुमार साहू,</b> <b>प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक</b>

<div> <div><span></span></div> <div>KAMDHENU GROUP</div> </div>	<div> <div><span></span></div> <div><b>KAMDHENU LIMITED</b></div> <div>CIN: L27101HR1994PLC092205</div> <div>Regd. Off.: 2nd Floor, Tower A, Building No. 9, DLF Cyber City, Phase-III, Gurugram (Haryana) - 122002</div> <div>Ph.: +91-124-4604500 Fax: +91-124-4218524</div> <div>Email: kamdhenu@kamdhenulimited.com, www.kamdhenulimited.com</div> </div>
---	---

<p>राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ के समक्ष (मूल क्षेत्राधिकार)</p> <p>कंपनी आवेदन सं. सीए (सीएए) 2021 का 22/ सीएचडी/एचआरवाई में धारा 230, 232 और 66 में कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)</p> <p>और</p> <p>प्रबंध योजना (स्कीम ऑफ अरेंजमेंट) के मामले में और</p> <p>कामधेनु कॉनकास्ट लिमिटेड कामधेनु ओवरसीज लिमिटेड कामधेनु पेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड कामधेनु इन्फ्राडैवलपर्स लिमिटेड कामधेनु न्यूट्रिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के2 स्टील लिमिटेड टिटापोल प्रमोर्स प्राइवेट लिमिटेड कामधेनु लिमिटेड कामधेनु वेचर्स लिमिटेड</p>	<p>याचिकाकर्ता सं. 1/अंतरक कंपनी सं. 1 याचिकाकर्ता सं. 2/अंतरक कंपनी सं. 2 याचिकाकर्ता सं. 3/अंतरक कंपनी सं. 3 याचिकाकर्ता सं. 4/अंतरक कंपनी सं. 4 याचिकाकर्ता सं. 5/अंतरक कंपनी सं. 5 याचिकाकर्ता सं. 6/अंतरक कंपनी सं. 6 याचिकाकर्ता सं. 7/अंतरक कंपनी सं. 7 याचिकाकर्ता सं. 8/अतिरिी कंपनी याचिकाकर्ता 9/परिणामी कंपनी सं. 1</p>	<p>और</p> <p>याचिकाकर्ता सं. 10/परिणामी कंपनी सं. 2 (सभी कंपनियां कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्गमित हैं और उनका पंजीकृत कार्यालय दूसरी मंजिल, टावर ए, बिल्डिंग नंबर 9, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-3, गुरुग्राम-122002, हरियाणा में है)</p> <p>के मामले में</p> <p>याचिका की सुनवाई की सूचना</p> <p>कामधेनु कॉनकास्ट लिमिटेड, कामधेनु ओपेरासीज लिमिटेड, कामधेनु पेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कामधेनु इफ्राडैवलपर्स लिमिटेड, कामधेनु न्यूट्रिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, के2 स्टील लिमिटेड, टिटापोल प्रमोर्स प्राइवेट लिमिटेड, कामधेनु लिमिटेड, कामधेनु वेचर्स लिमिटेड और कामधेनु कलर एंड कोटिंग्स लिमिटेड की प्रबंध योजना (स्कीम ऑफ अरेंजमेंट) की मंजूरी प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 और 232 के अंतर्गत उपरोक्त नामित याचिकाकर्ताओं द्वारा 5 अक्टूबर, 2021 (मासिक दायित्व करने की तारीख) को एक संयुक्त याचिका प्रस्तुत की गई और उक्त याचिका की सुनवाई 22 मार्च, 2022 को सुनवाई 2030 बजे माननीय नेशनल कंपनी नॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच, कोर्टघर भवन, प्लॉट नंबर 4-बी, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर-27-बी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़-160 019 के समक्ष तय की गई है।</p> <p>कोई भी व्यक्ति जो उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करना चाहता है, वह वंश और याचिकाकर्ता के वकील को अपने आशय की सूचना, अपने या अपने वकील द्वारा हस्ताक्षरित, अपने नाम और पते के साथ भेजे, ताकि वह वंश और याचिकाकर्ताओं के एडवोकेटों तक याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से 2 दिन पहले तक पहुंच जाय। जहां वह याचिका का विरोध करना चाहता है, वहां विरोध के आधार या उसके हलफनामा की एक प्रति भी ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत की जाएगी। याचिका की एक प्रति अयोधस्ताक्षरी द्वारा किसी भी व्यक्ति को इसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर इसकी आवश्यकता वाले व्यक्ति को दे दी जाएगी।</p>
<p>हस्ता /— राजीव के. गोयल, एडवोकेट कृते राजीव गोयल एंड एसोसिएट्स याचिकाकर्ताओं के वकील</p> <p>785, पॉकेट-ई, मयूर विहार-II दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे/एनएच-9, दिल्ली 110 091</p> <p>मोबाइल: 93124 09354</p> <p>ई-मेल: rajveer391@gmail.com, वेबसाइट: www.rgalegal.in</p>		

<div> <div><span></span></div> <div>KAMDHENU STEEL</div> </div>	<div> <div><span></span></div> <div>KAMDHENU PAS 10000</div> </div>	<div> <div><span></span></div> <div>KAMDHENU Nxt</div> </div>	<div> <div><span></span></div> <div>KAMDHENU PAINTS</div> </div>	<div> <div><span></span></div> <div>Breanzx Colour</div> </div>
---	---	---	--	---

www.readwhere.com

## शाखा : त्रिनगर, दिल्ली 110035

**कब्जा सूचना ख़ा़रा 13(४), (अचल संपत्ति हेतु)**
जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) (यहां इसमें इसके उपरांत "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 09.09.2021 निर्गत की थी, जिसमें उपाकर्ता श्रीमती स्वाति गुप्ता को सूचना में वर्णित राशि रु. 9.56.375.20 (नवपन लौ लाख छवत्तर हजार तीन सौ पचिहत्तर एवं बीस पैसे मात्र) का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उपाकर्ताओं निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्वारा उपाकर्ता तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अयोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम ४ एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, 1४ दिसंबर 2021 को, कब्जा ग्रहण कर लिया है।

उपाकर्ताओं को विषय रूप में तथा जनसाधारण को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति का कोई व किसी भी किस्म का लेन-देन जो है, वो रु. 9.56.375.20 की एक राशि तथा उस पर ब्याज हेतु केनरा बैंक के प्रभारधीन होगा।

उपाकर्ताओं का ध्यानकर्ण प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के मोनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(४) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

**अचल संत्ति का विवरण**

निम्न संपत्तित के समस्त भाग तथा अंश : जो डीडीए एलआईडी प्लेट नं. 36 के यूआरईएम, तृतीय तल, पॉकेट 1, ब्लॉक बी2, सेक्टर 34, रोहिणी, नई दिल्ली से युक्त है तथा जिसकी चौड़ाई निम्नानुसार है : उत्तर – प्लेट नं. 35, दक्षिण : खुला क्षेत्र सीडिगों के बाएं, पूर्व : प्लेट नं. 33, पश्चिम : अन्य ब्लॉक।

**तिथि: 16.12.2021,**  
**स्थान: दिल्ली**

प्राधिकृत अधिकारी  
केनरा बैंक

<div> <div><span></span></div> <div>varthana</div> </div>	<div> <div><span></span></div> <div><b>वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड</b></div> <div>(पूर्व का मेसर्स थिक्सेनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड)</div> <div>पंजीकृत कार्यालय<span> </span>: नंबर डब्लूबी-110, वरसिद्धि, आउटर रिंग रोड, सर्विस रोड, तीसरा ब्लॉक, एचआरबीआई हाउस, कल्यान नगर, बैंगलोर-560043, वेबसाइट <b>www.varthana.com</b>, ई-मेल<span> </span>: <b>care@varthana.com</b>, फोन: 080-68455777, शाखा कार्यालय<span> </span>: सं. 1162 एवं 1163, टावर बी-1, 11वां तल, स्पेज I टेक पार्क, सेक्टर-49, सोहन रोड, गुरुग्राम 122018</div> </div>
---	---

**कब्जा सूचना [ नियम ४(1) ] (अचल सम्पत्ति हेतु)**
जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत मेसर्स वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व का मेसर्स थिक्सेनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) जम्पूर शाखा का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में आवेदकों/सह-आवेदकों/बंधककर्ताओं से ऋण ख़ाता सं. S19GUR-GUR-007873 में 1. मेसर्स गौतम कान्देव मिडिल स्कूल उसके अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा प्रतिनिधित्वित, 2. मेसर्स गैलेक्स एंक्वैरलस सोसायटी, इसके अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा प्रतिनिधित्वित, 3. लज्जावती बी, पत्नी भास्वीवी, 4. दिनेश कुमार, पुत्र भास्वीवी, 5. राजेश कुमार, पुत्र, भास्वीवी, उक्त 1 से 5 का कार्यालय/निवास गहेलवा ग्राम (233), हाथिन तहसील, पलवल, हरियाणा-121103 से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान की तिथि तक सूचना में उल्लिखित राशि रु. 52,02,466/- ( रुपये बावन लाख दो हजार चार सौ छियासठ मात्र) 10.9.2021 को तथा मांग सूचना में उल्लिखित सहमत अनुवन्ध दर पर भुगतान की तिथि तक ब्याज एवं आकस्मिक व्ययों, लागत तथा अन्य प्रभारों आदि का भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना दिनांक 24.9.2021 जारी की थी।

हालांकि, यहां ऊपर उल्लिखित आवेदकों/सह-आवेदकों/बंधककर्ताओं द्वारा ब्याज/अन्य प्रभारों सहित पूर्ण राशि का भुगतान करने में विफल होने के कारण, एतद्वारा आवेदकों/सह-आवेदकों/बंधककर्ताओं तथा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अयोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम ४ के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उसने 17 दिसम्बर, 2021 को नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर सार्वेक्षिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से आवेदकों/सह-आवेदकों/बंधककर्ताओं को तथा जनसा्मन्य को एतद्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति को साधारण एवं संव्यवहार 10.9.2021 को रु. 52.02,466/- ( रुपये बावन लाख दो हजार चार सौ छियासठ मात्र) तथा भुगतान की तिथि तक उपर्युक्त सहमत अनुवन्ध दर पर ब्याज एवं आकस्मिक व्ययों, लागत तथा अन्य प्रभारों के लिए मेसर्स वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जम्पूर के प्रभार के अधधीन होगा। प्रतिभूत आस्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आवेदकों/सह-आवेदकों/बंधककर्ताओं का ध्यान धारा 13 की उप-धारा (8) की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण : अनुसूची 'ए' सम्पत्ति: गहलवा ग्राम, हाथिन तहसील, पलवल जिला (हरियाणा) में स्थित सम्पत्ति खेत नं. 78, ख़ाता नं. 96, मुस्तलिल नं. 38, किला नं. 2/1/1 (4-16), 9/2/2 (4-10), खसरा नं. 453 (1-0) एवं 679 (0-2), भूमि माप 1 कनाल 5 मरला (760 वर्ग यार्ड्स) का सभी भाग तथा हिरसा तथा चौहद्दी: पूर्व: रोड, पश्चिम: अन्य सम्पत्ति, उत्तर: अन्य सम्पत्ति, दक्षिण: रोड, बंधक प्रलेख उप-रजिस्ट्रार कार्यालय हाथिन (पलवल) में दिनेश कुमार एवं राजेश कुमार द्वारा निष्पत्ति दस्ता. 939/2019-20 तिथि: 1.7.2019 के रूप में पंजीकृत।

अनुसूची 'बी' सम्पत्ति: भानीखेरा ग्राम, पलवल, तहसील एवं जिला (हरियाणा) में स्थित सम्पत्ति खेत/खाता नं. 769/829, मुस्तलिल नं. 88, किला नं. 18(8-0), 19 (8-0) तथा 20(8-0), भूमि एरिया माप 6 मरला जो 183 वर्ग यार्ड्स है, का सभी भाग तथा हिरसा। चौहद्दी: पूर्व: रोड, पश्चिम: अन्य सम्पत्ति, उत्तर: रोड, दक्षिण: अन्य सम्पत्ति। बंधक प्रलेख उप रजिस्ट्रार कार्यालय, पलवल में श्रीमती लज्जावती द्वारा निष्पत्ति दस्ता. 5271/2019 तिथि 5.7.2019 के रूप में पंजीकृत।

**दिनांक:** 21.12.2021  
**स्थान:** पलवल

अधिकृत अधिकारी  
वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

<div> <div><span></span></div> <div>TATA</div> </div>	<div> <div><span></span></div> <div><b>टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड</b></div> <div>शाखा कार्यालय<span> </span>: 7वीं मंजिल, वीवीकेएन टॉवर, इण्डोयानाल एक्सप्रेसटन, नई दिल्ली-110055, भारत</div> </div>
---	---

**मांग सूचना**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत

सेवा में,  
1. **मेसर्स पाल मोटर्स**  
इसके प्रोपराइटर राजेंद्र सिंह रैनु के माध्यम से  
जी-28/29, वर्धमान टॉवर, कॉर्मशियल कॉम्प्लेक्स, प्रीत विहार, दिल्ली-110092  
2. **राजेंद्र सिंह रैनु**,  
मकान नंबर ए-81, गली नंबर 5, राधेश्याम पार्क एक्सप्रेसटन, कृष्णनगर, दिल्ली-110051  
साथ ही : जी-28/29, वर्धमान टॉवर, कॉर्मशियल कॉम्प्लेक्स, प्रीत विहार, दिल्ली-110092  
3. **श्रीमती सुनंदा रैनु**,  
मकान नंबर ए-81, गली नंबर 5, राधेश्याम पार्क एक्सप्रेसटन, कृष्णनगर, दिल्ली-110051  
साथ ही : जी-28/29, वर्धमान टॉवर, कॉर्मशियल कॉम्प्लेक्स, प्रीत विहार, दिल्ली-110092

प्रिय श्रीमान/मेडम,

ऋण ख़ाता सं. 21799008 के तहत 17.12.2021 तक टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (इसके पश्चात "टीसीएफएसएल" संदर्भित) द्वारा आपको 26.09.2019 को स्वीकृत होम इक्विटी (लैप) ऋण के तहत टीसीएफएसएल का ब्याज सहित रु. 44,59,749/- ( रुपये चौवालीस लाख उनसठ हजार सात सौ उनचत्तर मात्र) बकाया है। हमारे बार-बार निवेदन करने के बावजूद आपने अपने खाते में बकाया राशि के प्रति कोई भी भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकायों में आपके पुनर्भुगतान में चूक के कारण आरबीआई के दिशा-निर्देश के अनुसार 03.11.2021 को एनपीए ख़ाता वर्गीकृत कर दिया गया है। मैंने स्वयं वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के तहत टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी की शक्तियों के उपभोग में 17.12.2021 को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत कथित ऋण राशि रु. 44,59,749/- का भावी ब्याज एवं लागतों सहित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए सूचना जारी की थी, जिसमें असफल रहने पर टीसीएफएसएल निम्नलिखित सम्पत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा सृजित प्रतिभूति हित के प्रवर्तन सहित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) में वर्णित सभी या किसी अधिकार का उपयोग करेगा।

**सम्पत्ति की अनुसूची**

निर्मित सम्पत्ति संख्या 81(81-ए) क्षेत्रफल माप 40.13 वर्ग मीटर अर्थात 48 वर्ग गज, खसरा नं. 36/6/15 में से, राधेश्याम पार्क एक्सप्रेसटन, क्षेत्र ग्राम खुरेजी खास, शाहदरा, दिल्ली-110051 के लेआउट प्लान में स्थित, बिक्री विलेख दिनांक 31.10.2011 में अधिक वर्णित, सुनन्द रैनु के पक्ष में निष्पादित।

सीमाएं :

पूर्व : सम्पत्ति संख्या 80

पश्चिम : शेष भाग

उत्तर : सड़क

दक्षिण : शेष भाग